राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1255/2017.................................जिला..........जयपुर..............................

उनवान – मैसर्स सेंचूरी इन्फ्रापॉवर प्रा.लि., जयपुर बनाम 1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,संभाग–द्वितीय, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2017	**खण्डपीठ कैम्प–जयपुर** **श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55, व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के अन्तर्गत अरोपित कर, शास्ति व ब्याज कुल राशि रूप्ये 1,24,200/– की मांग सृजित की गई है। उक्त मांग राशि को स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 67,500/– को स्थगित करते हुए शेष कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन देने से इन्कार किया है, जिसके विरूद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि को स्थगित निवेदन किया गया है, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पर स्थगन प्रदान किया जा चुका है, इसलिए यह पीठ शेष रही कर एवं ब्याज राशि कुल रूपये 56,700/– पर स्थगन देने के संबंध में निर्णय पारित कर रही है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन नहीं देने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से उन्होंने कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस, अपील सुनवाई के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टांतो पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण लगातार................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1255/2017..जिला...........जयपुर......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/2017	अधिकारी ने वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा फ्रेट एवं इंशोरेस की राशि पर कर जमा नहीं करवाया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने फ्रेट एवं इंशोरेंस की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज राशियों पर स्थगन प्रदान नहीं करने के संबंध में किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पीठ प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कर एवं ब्याज राशि पर एक माह के लिए स्थगन इस शर्त पर प्रदान करती है कि स्थगित राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **एक माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य (वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष	